दिनांक: 05-07-2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नांगल व स्वाट/सर्विलांस सेल की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा मात्र 08 घण्टे में झूठी लूट की घटना का षड़यन्त्र रचकर डायमण्ड ज्वैलरी का गबन करने की घटना का सफल अनावरण करते हुए 05 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से गबन की गयी ज्वैलरी, 50,000/- रूपये नकद, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व 01 अवैध देशी पिस्टल .32 बोर /03 जिन्दा कारतूस .32 बोर बरामद

- **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा पुलिस टीम को 25,000/- रूपये का नकद पुरस्कार**

घटना का संक्षिप्त विवरणः- अवगत कराना है कि दिनांक 05.07.2024 को वादी श्री प्रियांक अग्रवाल पुत्र श्री प्रदीप अग्रवाल निवासी 252 हरनामदास रोड सिविल लाईन थाना सिविल लाईन जिला मेरठ द्वारा दुकान पर काम करने वाले सत्यम शर्मा व तरुण सैनी सैल्समैन जो मेरी गाडी UP15DL1333 को भी चलाते है। दोनो गाडी से अम्बाला शहर व सहारनपुर व अन्य शहरो मे कहे अनुसार दुकान से ज्वैलरी व ज्वैलरी के सैम्पल लेकर जाते है और दुकानदारो को सप्लाई कर नकदी लेकर आते-जाते है। दिनाँक 01.07.2024 को तरुण सैनी व सत्यम शर्मा ज्वैलरी व सैम्पल लेकर अम्बाला सहारनपुर गये थे। कल दिनाँक 04.07.2024 रात्रि में लगभग 11.00 बजे मुझे सत्यम शर्मा ने किसी राहगीर के मोबाइल से फोन करके बताया कि आज दिनाँक 04.07.2024 को समय लगभग 08.00 बजे शाम सहारनपुर शहर से मेरठ के लिये चले थे। जब हम नागल से कुछ पहले पहुँचे तो अचानक तीन लडके आये एव अचानक हमारी गाडी के सामने मोटरसाइकिल लगा दी और गाडी के शीशे तोडकर हम दोनो को नीचे उतारकर असलहो के बटो से पीटकर घायल कर दिया। हम दोनो के हाथ पैर बाँधकर सडक के किनारे डाल दिया और हम दोनो के मोबाइल व 50 हजार रूपये व सैम्पल ज्वैलरी व गोल्ड ज्वैलरी लूट कर ले गये उनके जाने के बाद किसी तरह हाथ पैर खोलकर सडक किनारे आये है। घटना की पूर्ण जानकारी के बाद मुझे इतमिनान हो गया कि सत्यम शर्मा व तरुण शर्मा ने मिलकर अपने अन्य साथियो के साथ नकदी व ज्वैलरी का गबन किया है। **इस सूचना पर थाना नागल पुलिस द्वारा मु0अ0स0 175/24 धारा 316(5) बीएनएस के पंजीकृत किया गया।**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर घटना के सफल अनावरण व अभियुक्तो की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित की गयी। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक नांगल श्री ज्ञानेश्वर बौद्ध, निरीक्षक श्री संजीव कुमार यादव (प्रभारी स्वाट) मय टीम व प्रभारी सर्विलांस सेल की टीम द्वारा उपरोक्त घटना का सफल अनावरण करते हुए गबन की घटना में शामिल **अभियुक्तगण 1. डम्पी उर्फ हिमांशू पुत्र चन्द्रशेखर निवासी मौहल्ला बेरीपुरी थाना टीपीनगर जिला मेरठ 2. प्रिन्स पुत्र करन सिंह निवासी उपरोक्त 3. कँवरपाल उर्फ मामा पुत्र गंगादास निवासी सक्कोवाली गली कस्बा व थाना मुरादनगर जिला गाजियाबाद, 4. सत्यम शर्मा पुत्र रविदत्त निवासी 1470 भगवती चक्कीवाली गली थाना ब्रहमपुरी जिला मेरठ व तरुण सैनी पुत्र मुकेश सैनी निवासी रिठानी थाना परतापुर जिला मेरठ** को गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तगण के कब्जे से गबन की गयी समस्त

ज्वैलरी, 50,000/- रूपये नकद, घटना में प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल व 01 अवैध देशी पिस्टल/03 जिन्दा कारतूस (.32 बोर) बरामद। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्त तरुण सैनी व सत्यम शर्मा ने पूछने पर बताया कि हम दोनो एटायर डायमंडस मेरठ मे जिसके मालिक प्रियांक अग्रवाल है, के यहाँ ज्वैलरी की सैल्समैनी का काम करते है। इस काम के लिये हम दोनो अक्सर सहारनपुर हरिद्वारा अम्बाला आदि जगहो पर सैम्पल ज्वैलरी व गौल्ड व डायमंड ज्वैलरी लेकर जाते है। जिन्हे सर्राफा बाजारो मे व्यापारियो को दिखाकर आर्डर लेते है। दिनाँक 01.07.2024 को हम दोनो मालिक की गाडी KIA लाल रंग न0 UP15DL1333 से मेरठ से निकले थे। सहारनपुर हरिद्वार यमुनानगर होते हुए दिनाँक 03.07.2024 को हम अम्बाला पहूँच गये और वहीं होटल मे रुके थे। अगले दिन दिनांक 04.07.2024 को मेरा साला डम्पी उर्फ हिमांशु उपरोक्त व उसके दोस्त प्रिन्स व कँवरपाल उर्फ मामा भी सुबह ही अम्बाला होटल पर आ गये थे। हम दोनो की इन लोगो से मेरठ मे ही घटना के बारे मे बातचीत हो गयी थी। जो तय हुआ था। उसी के अनुसार ये तीनो लोग अम्बाला पहूँच गये थे। मैने व तरुण ने अम्बाला मे मार्कीट किया उसके बाद मै तरुँण व कवरपाल हमारी गाडी से डम्पी व प्रिन्स अपनी मो0सा0 से सहारनपुर आ गये और जैसा हम सभी लोगो ने तय किया था। उसी के अनुसार डम्पी उर्फ हिमांशु ज्वैलरी व पचास हजार रूपये कैस वाला बेग लेकर किराये की टैक्सी से मेरठ चला गया मै व तरुण अपने मालिक वाली कार से व प्रिन्स तथा कँवरपाल उर्फ मामा अपनी मो0सा0 से जहाँ घटना होना बताया था। वहाँ पहूँचे और गाडी को सडक के किनारे खडी करके कँवरपाल उर्फ मामा ने अपने पास ली हुयी पिस्टल से मेरे व तरुँण के सिर मे बट से चोट मारी जिससे घटना असली लगे उसके बाद मेरे व तरुण के रस्सी से हाथ पैर बाँधकर हम दोनो के मोबाइल लेकर गाडी के पास जाकर गाडी के डण्डे व ईट से तोड दिये और दोनो कँवरपाल व प्रिन्स अपनी मो0सा0 से मेरठ चले गये थे। घटना के काफी देर बाद जब हमे किसी ने नही देखा तो मैने अपने हाथ पैर खोले और मै सडक पर चलकर आया और सडक से गुजर रहे व्यक्ति को हाथ देकर रोका और घटना के बारे मे बताकर उसी के फोन से अपने मालिक प्रियांक से बात की तथा उसने 112 नम्बर पर भी फोन कराया था उसी को साथ ले जाकर अपने साथी तरुण को खोला था। जिससे लगे कि वास्तव मे हमारे साथ घटना हुयी है। इस घटना को करने की योजना हम पाँचो लोगो ने मिलकर कई दिन पहले मेरठ मे ही बनायी थी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. डम्पी उर्फ हिमांशू पुत्र चन्द्रशेखर निवासी मौहल्ला बेरीपुरी थाना टीपीनगर जिला मेरठ
2. प्रिन्स पुत्र करन सिंह निवासी निवासी मौहल्ला बेरीपुरी थाना टीपीनगर जिला मेरठ
3. कँवरपाल उर्फ मामा पुत्र गंगादास निवासी सक्कोवाली गली कस्बा व थाना मुरादनगर जिला गाजियाबाद
4. सत्यम शर्मा पुत्र रविदत्त निवासी 1470 भगवती चक्कीवाली गली थाना ब्रहमपुरी जिला मेरठ
5. तरुण सैनी पुत्र मुकेश सैनी निवासी रिठानी थाना परतापुर जिला मेरठ

बरामदगी का विवरण:-

- 01 मो0सा0 हीरो होण्डा स्पलैण्डर UP15AK0369
- 01 देशी पिस्टल .32 बोर
- 03 जिन्दा कारतूस .32 बोर
- 01 मोबाइल फोन

- 50,000/- रूपये की नकदी
- सैम्पल ज्वैलरी एवं पीली धातू की ज्वैलरी (02 अंगूठी, 01 टाप्स, 01 ब्रैसलेट व 01 मंगलसूत्र)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नामः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री ज्ञानेश्वर बौद्ध थाना नांगल जिला सहारनपुर
2. निरीक्षक श्री संजीव कुमार यादव प्रभारी स्वाट टीम
3. उ0नि0 श्री जावेद खान प्रभारी सर्विलांस सेल
4. उ0नि0 श्री असगर अली थाना नांगल जिला सहारनपुर
5. उ0नि0 श्री सचिन त्यागी थाना नांगल जिला सहारनपुर
6. है0का0 अमरदीप स्वाट टीम
7. है0का0 मन्दीप स्वाट टीम
8. है0का0 सोनू कौशिक सर्विलांस टीम
9. है0का0 विनीत हुड्डा सर्विलांस टीम
10. है0का0 मोहित सर्विलांस टीम
11. का0 गौरव राठी स्वाट टीम
12. का0 अखिलेश स्वाट टीम
13. का0 अमित स्वाट टीम
14. का0 चालक अनिल खोखर
15. का0 2442 मौ0 नदीम थाना नांगल जिला सहारनपुर
16. का0 1926 अमित कुमार थाना नांगल जिला सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 05.07.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़, सहारनपुर पुलिस द्वारा ग्राम कैण्डल में दहेज के लिए प्रताड़ित कर महिला हत्या करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार ।

अवगत कराना है कि दिनांक 05.07.2024 को वादी श्री रवि कुमार पुत्र श्री मोहकम निवासी ग्राम भैरमऊ थाना नकिड जिला सहारनपुर की लिखित तहरीरी सूचना बावत अभियुक्तगण द्वारा वादी की बहन श्रीमती मोनी देवी को दहेज के लिए प्रताडित करने व उसकी हत्या कर देने के सम्बन्ध में थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 210/24 धारा 85/80(2) भारतीय न्याय संहिता व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम बनाम 1. मांगेराम पुत्र मोहल्लड (ससुर) 2. श्रीमती मुन्नी पत्नि मांगेराम (सास) 3. सचिन पुत्र मांगेराम (पति) 4. रोहित पुत्र मांगेराम (जेठ) 5. बिरम पुत्र मांगेराम (जेठ) 6. मिनाक्षी पत्नि रोहित (जेठानी) समस्त निवासीगण ग्राम कैण्डल थाना नकुड जिला सहारनपुर पंजीकृत कराया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का तत्काल संज्ञान लेकर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिए गये। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र गौतम के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 05.07.2024 को थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त त्वरित कार्यवाही करते हुए **अभियुक्तगण 1.मांगेराम पुत्र मोहल्लड 2. सचिन पुत्र मांगेराम निवासीगण ग्राम कैण्डल थाना नकुड जिला सहारनपुर** को कस्बा अम्बेहटापीर, जिन्दा हसन के बाग के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. मांगेराम पुत्र मोहल्लड निवासी ग्राम कैण्डल थाना नकुड जिला सहारनपुर
2. सचिन पुत्र मांगेराम निवासी ग्राम कैण्डल थाना नकुड जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र गौतम थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री राकेश राठी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 1021 मतीन अहमद थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
4. का0 497 गौरव कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
5. का0 2501 प्रताप सिंह थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
6. का0 81 राहुल राणा थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।

दिनांकः 05.07.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़, सहारनपुर पुलिस द्वारा ग्राम बान्दुखेड़ी में को दहेज के लिए प्रताड़ित कर महिला हत्या कर देने के मामले में वांछित अभियुक्ता गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि दिनांक 26.04.2024 को वादी श्री राजबीर सिंह पुत्र श्री सीताराम निवासी ग्राम डकरावर कलां थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर की लिखित तहरीरी सूचना बावत अभियुक्तगण द्वारा वादी की पुत्री को दहेज के लिए प्रताडित कर हत्या कर देने के सम्बन्ध में थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 128/24 धारा 498ए/304बी भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधि0 बनाम 1. श्रीमती पूनम पत्नि प्रदीप कुमार 2. रेणुका पुत्री प्रदीप कुमार 3. प्रभात पुत्र प्रदीप कुमार निवासीगण ग्राम बांदूखेडी थाना नकुड जिला सहारनपुर के पंजीकृत किया गया था। अभियुक्त प्रभात को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिए गये। जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड़ के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 05.07.24 को थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्ता श्रीमती पूनम पत्नि प्रदीप कुमार निवासी ग्राम बांदूखेडी थाना नकुड जिला सहारनपुर को ग्राम बान्दूखेडी चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्ता के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्ता का नाम व पताः-

1. पूनम पत्नि प्रदीप कुमार निवासी ग्राम बांदूखेडी थाना नकुड जिला सहारनपुर

अभियुक्ता को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र गौतम थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री राकेश शर्मा थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
3. म0उ0नि0 कमलेश उपाध्याय थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
4. हे0का0 301 प्रवीण ढाका थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
5. का0 1890 मोन्टी चौधरी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 05.07.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से शराब के ठेके से चोरी की हुई शराब की पेटी बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 21.05.2024 को वादी द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र बावत वादी के ठेके से रात्री मे अज्ञात चोरो द्वारा चोरी करने सम्बन्ध में थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 162/2024 धारा 380 भादवि पंजीकृत किया गया था तथा आज दिनांक 05.07.24 को वादी द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र व गिरफ्तारी बाबात वादी के पडोसियो के घर से तीन मोबाईल चोरी करने के सम्बन्ध मे थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 198/24 धारा 331(4)/305(A)/317(2) भारतीय न्याय सहिता पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण एवं चोरी की घटनाओं की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 05.07.24 को चोरी करने के मामले मे थाना कुतुबशेर पर गिरफ्तार किये गये दो अभियुक्तगण **1.ललित पुत्र विनोद कुमार जोगी निवासी टावर वाली गली मानकमऊ थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर 2.अंकित पुत्र राजू निवासी रविदास मंदिर के पास मानकमऊ थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर** को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण की निशादेही पर थाना कुतुबशेर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 162/2024 धारा 380 भादवि से सम्बन्धित चोरी से एक पेटी देशी शराब व 8 पव्वे गंगोह रोड खाद गौदाम के आगे खाली पडे खण्डर गोदाम से बरामद की गयी। अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि दिनांक 21.05.24 की रात्री मे हम दोनो ने ग्राम उनाली मे स्थित शराब के ठेके मे खिडकी से घुसकर ठेके से तीन पेटी देशी शराब, एक पेटी बीयर, एक एलईडी टीवी, एक मशीन (ऐटीएम कार्ड से पेमेन्ट लेने वाली) व एक कैमरे का बॉक्स (डीवीआर) चोरी किया था। जिसमे से हम दोनो ने बीयर व लगभग दो पेटी देशी शराब पी ली है तथा बाकी सामान को हम दोनो ने रूपयो के लिए राह चलते कबाडी को बेच दिया था। जिसमे से अब करीब एक पेटी से ज्यादा बची थी जिस हम दोनो ने ग्राम उनाली मे सडक किनारे पडे एक खण्डर गौदाम मे छिपाकर रख रखी थी जहाँ से आज हम दोनो ने बरामद करा दिया है। तथा आज भी हमने रात्री मे तीन मोबाईल चोरी किये थे चोरी करते हुए जनता के लोगो द्वारा हमे पकडकर थाने लाया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. ललित पुत्र विनोद कुमार जोगी निवासी टावर वाली गली मानकमऊ थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
2. अंकित पुत्र राजू निवासी रविदास मंदिर के पास मानकमऊ थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

अभियुक्त ललित का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0स0 62/23 धारा 63 आबकारी अधि0 थाना कुतुबशेर

2. मु0अ0स0143/20 धारा 188/269/271 भादवि व 3 महामारी अधि0 थाना कुतुबशेर
3. मु0अ0स0 375/21 धारा 63 आबकारी अधि0 थाना कुतुबशेर
4. मु0अ0स0 322/22 धारा 60/63 आबकारी अधि0 थाना कोतवाली नगर
5. मु0अ0स0 420/22 धारा 60/63 आबकारी अधि0 थाना सदर बाजार
6. मु0अ0स0 162/24 धारा 380/411 भादवि थान कुतुबशेर

अभियुक्त अंकित का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0स0 393/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कुतुबशेर
2. मु0अ0स0 160/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सदर बाजार
3. मु0अ0स0 162/24 धारा 380/411 भादवि थान कुतुबशेर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नामः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 अवशेष भाटी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 960 सचिन थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
4. है0का0 559 सन्नी राणा थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
5. है0का0 138 कपिल थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

दिनांक: 05.07.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 शातिर नशा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 24 बोतल अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में नशा मुक्त अभियान में गिरफ्तारी व रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री बीनू चौधरी के कुशल नेतृत्व में दिनांक 05.07.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना मिर्जापुर पुलिस टीम द्वारा एक अभियुक्तगण **1.हरध्यान पुत्र बलजीत निवासी ग्राम शेरपुर पैलो थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर 2.संजय पुत्र अमर सिंह निवासी ग्राम शेरपुर पैलो थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर** को टाण्डा पुल के पास से मय 12 -12 बोतल देशी शराब माल्टा मार्का हरियाणा मार्का के साथ समय करीब 12.50 बजे गिरफ्तार किया गया। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना मिर्जापुर पर **मु0अ0सं0 98/24 धारा 60/63आबकारी अधि0** पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. हरध्यान पुत्र बलजीत निवासी ग्राम शेरपुर पैलो थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
2. संजय पुत्र अमर सिंह निवासी ग्राम शेरपुर पैलो थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

अभि0 संजय का आपराधिक इतिहास

1.मु0अ0स0 37/21 धारा 60/63 आबकारी अधि0 थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
2.मु0अ0स0 52/23 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

अभि0 हरध्यान का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0स0 47/20 धारा 60(2) आबकारी अधि0 व 272/273 भादवि थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

24 बोतल अवैध देशी शराब (हरियाणा मार्का)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 भूपेश शर्मा थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
2. उ0नि0 नरेश कुमार थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
3. हेका0 461 धर्म सिंह थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
4. का0 1365 मंजीत थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।

दिनांक- 05.07.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 वारण्टियो को किया गया गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम हेतु वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्र0नि0 बीनू चौधरी द्वारा के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 02 नफर वारन्टी **1.जसवन्त पुत्र राज्जा नि0 ग्राम शेरपुर पेलो थाना मिर्जापुर सहारनपुर 2. धर्मपाल सिह पुत्र छोटन निवासी ग्राम शेरपुर पेलो थाना मिर्जापुर सहारनपुर** सम्बन्धित वाद स0 वाद 3376/19 धारा 147/323/352/452/504/506 भादवि को उनके मसकन गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही कर वारण्टी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार वारण्टी के नाम व पता –

1. जसवन्त पुत्र राज्जा नि0 ग्राम शेरपुर पेलो थाना मिर्जापुर सहारनपुर
2. धर्मपाल सिह पुत्र छोटन निवासी ग्राम शेरपुर पेलो थाना मिर्जापुर सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी –

1. उ0नि0 भूपेश शर्मा थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
2. का0 2219 रोहित कुमार थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 05.07.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 38 पव्वे अवैध देशी शराब बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में शातिर अपराधी/नशा तस्कर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व मे थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा दिनांक 04.07.2024 को चैकिग के दौरान 01 नशा तस्कर अभियुक्त कुलदीप s/o रविन्द्र पता ग्राम कुरलकी थाना देवबन्द सहारनपुर को 38 पव्वे देशी शराब के साथ बरला मेन रोड से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना देवबन्द पर मु0अ0सं0- 349/24 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम के पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही अमल मे लायी जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

कुलदीप s/o रविन्द्र पता ग्राम कुरलकी थाना देवबन्द सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

- अवैध देशी शराब 38 पव्वे

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1- हे0का0 417 अकबर अली थाना देवबन्द जिला सहारनपुर

2- का0 1969 साजिद अली थाना देवबन्द जिला सहारनपुर

दिनांकः 05.07.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबंद पुलिस द्वारा सरकारी विभागो में नौकरी लगवाने के नाम पर बेरोजगार युवको को फर्जी नियुक्ति पत्र देकर धोखाधड़ी से पैसा हड़पने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह के 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 22.10.2023 को वादी श्री अक्षय कुमार पुत्र सुशील कुमार निवासी ग्राम असदपुर करन्जाली थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर द्वारा लिखित प्रार्थना पत्र बाबत अभियुक्त दीपक श्रीवास्तव पुत्र जगदीश शरण आदि नें कुल 44 लाख 50 हजार रूपये सरकारी विभाग में नौकरी लगवाने के नाम पर धोखाधड़ी करके पैसा ठगी करने के सम्बन्ध में थाना देवबन्द पर मु0अ0सं0- 724/23 धारा 420/406 भा0द0वि0 बनाम दीपक श्रीवास्तव आदि 03 अभियुक्तगण के विरुद्ध पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 12.01.2024 को वादी श्री प्रशान्त कुमार पुत्र मुनेश कुमार नि0 चौरा खुर्द थाना गागलहेड़ी, सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त दीपक श्रीवास्तव उपरोक्त द्वारा वादी से धोखाधडी करके नौकरी लगवाने के नाम पर 20 लाख रूपये ले लेना व वापस न करने के सम्बन्ध थाना गागलहेड़ी पर मु0अ0सं0 14/2024 धारा 420/467/468/471 भादवि पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व शातिर अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना देवबन्द व थाना गागलहेड़ी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा "सरकारी विभागो में नौकरी लगवाने के नाम पर बेरोजगार युवको को फर्जी नियुक्ति पत्र देकर धोखाधड़ी से पैसा हड़पने वाले अन्तराज्यीय गिरोह के वांछित अभियुक्त **अवनीश कुमार पुत्र मोहन सिंह निवासी मकान नं0 आर0जे0-4 जे0जे0 कालोनी कालोनी बिन्दापुर उत्तमनगर पश्चिम दिल्ली** को दि0 05.07.24. को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरणः- पूछताछ करने पर बताया गया कि मेरी सगी बहन व मेरा बहनोई तथा उसके भाई दो हमारी टीम में और कई लोग है हम सब बेरोजगार युवको को नौकरी का झांसा देने के लिये सोशल मीडिया से प्रचार प्रसार करते है और लोगो को झांसा देकर फर्जी नियुक्ति पत्र तैयार कर, उन्हे ट्रेनिंग दिलाते है और नौकरी के नाम पर प्रत्येक व्यक्ति से आठ से दस लाख रूपये तक लेते है। सारे रूपयो का लेन देन मेरे बहनोई के दोनो भाईयों के द्वारा किया जाता है। उस रूपये में से काम के हिसाब से प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा उसे दे दिया जाता है। मेरे खाते में आये ये रूपये उन्ही बच्चो से लिये गये रूपये है जो मेरे हिस्से में आये है। कुछ रूपये मुझे नगद भी दिये थे। मेरा काम नियुक्ति पत्रो को सील कर उन्हे विभिन्न पतो पर पोस्ट करना होता है। हमने मौज मस्ती व ऐशो आराम व पुलिस से बचने के लिये नैनीताल उत्तराखण्ड में एक फार्म हाउस लिया हुआ है। जिसे मेरे बहनोई ने होटल के नाम पर रजिस्टर कराया हुआ है हम सभी लोग पुलिस से बचने के लिये ठिकाने लगातार बदलते रहते है। पटना व कोलकाता में भी कई स्थानो पर मै इन लोगो के साथ रूका हूं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः–

अवनीश कुमार पुत्र मोहन सिंह निवासी मकान नं0 आर0जे0-4 जे0जे0 कालोनी कालोनी बिन्दापुर उत्तमनगर पश्चिम दिल्ली

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 विकास चारण थाना देवबंद जनपद सहारनपुर
2. कम्प0आप0 रूपेन्द्र सिंह थाना देवबंद जनपद सहारनपुर
3. का0976 गौरव दांगी थाना देवबंद जनपद सहारनपुर।

दिनांक: 05-07-2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बेहट पुलिस द्वारा जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने वाला 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, निशादेही से 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 01 जिंदा/खोखा कारतूस बरामद।

अवगत कराना है कि दिनांक 02.07.2024 को वादी उपनिरीक्षक श्री रोविल्स कुमार थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर ने अज्ञात व्यक्तियों द्वारा 5-6 मोटर साइकिलों पर सवार होकर जिन्होने अपने मुह पर कपडा लपेटा हुआ था तथा उनके हाथ में हथियार थे उक्त युवकों के द्वारा अपने हाथो में लिये हथियारो से आने जाने वाले व्यक्तियो पर जान से मारने की नीय़त से अन्धाधुन्ध फायरिंग करने के सम्बन्ध मे थाना बेहट पर मु0अ0सं0 190/2024 धारा-109/190/191(2)/191(3) बीएनएस व 07 सीएलए एक्ट पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, महोदय द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी एवं बरामदगी के दिशा-निर्देश दिए, आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण मे तथा कार्यवाहक थाना प्रभारी बेहट श्री रोविल्स कुमार के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वान्छित अभियुक्तगण की शिनाख्त की गयी जिसमे 03 अभियुक्तो को पूर्व मे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया तथा आज दिनाँक 05.07.2024 को उपरोक्त मुकदमें में 01 वांछित अभियुक्त **अंकुश पुत्र परमाल नि0 ग्राम बेलका माफी थाना बेहट जिला सहारनपुर** को मलकपुर से अम्बहैटा इस्मईलपुर जाने वाले मार्ग से गिरफ्तार किया गया अभियुक्त की निशादेही पर 01 तमन्चा देशी 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर व एक खोखा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त अंकुश द्वारा पूछताछ करने पर बताया कि मै व मेरे अन्य साथियों ने क्षेत्र मे अपना वर्चस्व कायम करने एवं जनता मे भय फैलाने के लिये हमने एक साथ मिलकर दिनाँक 01.07.2024 को दिन दहाडे गाँवअम्बेहट ईस्माईलपुर मे तीन जगह पर आते जाते लोगो के जान से मारने की नीयत से उनके उपर फायरिंग की और फिर हम लोग अपनी अपनी मोटर साईकिलो से फायरिंग करते हुये गाँव हुसैन मलकपुर की तरफ भाग गये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अंकुश पुत्र परमाल निवासी बेलका माफी थाना बेहट जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

- 01 तमन्चा देशी 315 बोर
- 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर
- 01 खोखा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. IC/ प्रभारी श्री रोविल्स कुमार थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री तोताराम सिंह थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री सतीश रौसा थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
4. है0का0 521 सुनील राणा थाना कोतवाली बेहट जिला सहारनपुर
5. का0 1323 कुलदीप कुमार थाना कोतवाली बेहट जिला सहारनपुर
6. का0 1594 मोहित धामा थाना कोतवाली बेहट जिला सहारनपुर